

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 773/2017/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-अ, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मरुधर इण्डस्ट्रीज,
भादू मार्केट, नया पाल बालाजी, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/02/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 001/आरवेट/जेयूबी/16-17 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-अ, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.01.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बस बॉडी बिल्डिंग कार्य हेतु राज्य के बाहर से बसों में लगाई जाने वाली सीटों का आयात वैध दस्तावेजों से किया गया था परन्तु जांच अधिकारी ने बस की सीटों को फर्नीचर मानते हुये उस पर आयात के समय नियम 53 के अनुसार घोषणा पत्र वैट 47 अनिवार्य माना एवं इसके अभाव में धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गई, जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2016 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने शास्ति आदेश का समर्थन करते हुये तर्क दिया कि बस निर्माण में प्रयुक्त "सीटें" फर्नीचर होने से एवं फर्नीचर अधिसूचित माल होने से परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट-47 दिया जाना आवश्यक था, जो संलग्न नहीं था। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय बताते हुये राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।



लगातार.....2

4. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्तनीय है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है। अतः राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवाद का एक मात्र बिन्दु यह है कि बस बनाने के लिये जिंन सीटों को आयात किया गया था, वह "फर्नीचर" की श्रेणी में माना जाए अथवा नहीं? इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुये आदेश पारित किया गया है, जिसमें बस निर्माण के लिये आयातित सीटों को पृथक रूप से "फर्नीचर" नहीं माने जाने के आधार दिये गये है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विभिन्न शब्दकोश, विकिपीडिया एवं न्यायिक निर्णय के हवाले से यह उचित निष्कर्ष किया है कि बस बॉडी निर्माण में लगाई जाने वाली "सीटें" स्वतंत्र रूप से "फर्नीचर" नहीं है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस प्रकरण में परिवहन के समय माल से संबंधित आवश्यक विधिक दस्तावेज यथा बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिस पर कोई विवाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है अतः प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन कारित नहीं किया गया था। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल यह मत अभिव्यक्त किया गया कि बस निर्माण में लगने वाली "सीटें" फर्नीचर की श्रेणी में मानी जावें एवं इसलिये इसके साथ घोषणा पत्र वैट-47 आवश्यक था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यक्त मत का कोई विधिक या व्यावसायिक आधार नहीं दिया बल्कि स्वेच्छा से इन्हें फर्नीचर माना है जबकि सामान्य व्यवहार में फर्नीचर का अर्थ टेबल, कुर्सी, सोफा, केबीनेट, डेस्क आदि जो ऑफिस या निवास में उपयोग में आते है, उन्हें ही फर्नीचर माना जाता है। प्रकरण में बसों के निर्माण में लगने वाली सीटें किसी भी निवास या ऑफिस के कार्य में नहीं आ सकती बल्कि वे केवल बस बॉडी का पार्ट होती है। वह बस का फर्नीचर नहीं होता है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतार्किक विचार से जो अभियोग स्थापित किया गया है वह अविधिक होने से अपीलीय आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः इसकी पुष्टि की जाती है।
6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैत्र)
सदस्य